

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

प्रतापसिंह पुत्र स्व. हड़मानसिंह जाति राजपूत निवासी गांव इन्द्रपुरा तहसील व जिला चूरु

-वादी-

बनाम

1. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नी भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तह0 व जिला चूरु
2. मातुसिंह
3. जयपालसिंह
4. रणवीरसिंह
5. सन्तोषकंवर
6. रूकमणकंवर पत्नी धन्नेसिंह
7. सुनिताकंवर पत्नी डूंगरसिंह
8. करणीसिंह पुत्र गोपालसिंह
9. स्व. बन्नेसिंह पुत्र गंगासिंह
- 9/1 डूंगरसिंह गोदपुत्र बन्नेसिंह
10. स्व. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह
- 10/1 पूजाकंवर पत्नी स्व.नरेन्द्रसिंह
11. विनोदकंवर
12. चैनकंवर
13. पूनमकंवर
14. सन्तोषकंवर
15. इन्द्रकंवर पत्नी
16. रणवीरसिंह पुत्र
17. विजेन्द्रसिंह पुत्र
18. विमलाकंवर पुत्री
19. मन्जूकंवर पुत्री
20. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई सड़क चूरु जरिये शाखा प्रबन्धक
21. बैंक ऑफ बड़ौदा चूरु जरिये शाखा प्रबन्धक
22. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरु

पुत्र-पुत्री भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला चूरु

जाति राजपूत निवासी गांव इन्द्रपुरा तहसील व जिला चूरु

पुत्रियां स्व.मूलसिंह

स्व. भंवरसिंह

उपखण्ड अधिकारी
चूरु

-प्रतिवादीगण-

**दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एकट
मुकदमा नं. 19 सन् 2015**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारै हाजरी श्री भीमनाथ सिद्ध एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व श्री भंवरसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी सं 6 वा 7 मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वा डिक्की दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्की किया जाता है कि कृषि भूमि ख.नं. 60, 65, 93, 94, 95, 104, 134 तादादी क्रमशः 11.4830, 3.0098, 3.6169, 1.8843, 1.8717, 1.8970, 1.9223 हैक्टेयर कुल तादादी 25.6850 हैक्टेयर रोही ग्राम इन्द्रपुरा में से वादी व प्रतिवादी सं. 15 से 19 का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाता व लगान अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	ख.नं.	रकबा है.	लगान
1.	प्रतापसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा खातेदार	60 मी.	1.3457	2.65
		95 मी.	0.6239	1.24
		किता-2	1.9696	3.89
2.	इन्द्रकंवर पत्नी भंवरसिंह, रणवीरसिंह, विजेन्द्रसिंह, बिमलाकंवर, मन्जुकंवर पुत्र-पुत्रियां भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा ब.हि.ब. खातेदारी	60 मी.	1.3457	2.65
		95 मी.	0.6238	1.24
		किता-2	1.9695	3.89
3.	विनोदकंवर, पूनमकंवर, सन्तोषकंवर पुत्रियां मूलसिंह हिस्सा 1.1763 हैक्टेयर ब.हि.ब., चैनाकंवर पुत्री मूलसिंह हिस्सा 0.7843 हैक्टेयर राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरू, प्रेमकंवर पत्नी भोपालसिंह, मातुसिंह, जयपालसिंह, रणवीरसिंह पि. भोपालसिंह हिस्सा 4.7060 हैक्टेयर ब.हि.ब. राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई सड़क, चूरू, सन्तोषकंवर पुत्री भोपालसिंह हिस्सा 1.1765 हैक्टेयर, रूकमणकंवर पत्नी धन्नेसिंह हिस्सा 2.9213 हैक्टेयर राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई सड़क, चूरू, सुनिताकंवर पत्नी डूंगरसिंह हिस्सा 1.4550 हैक्टेयर राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई सड़क, चूरू, करणीसिंह पुत्र गोपालसिंह हिस्सा 5.8825 हैक्टेयर राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई सड़क, चूरू, उमरावकंवर पत्नी हीरसिंह हिस्सा 3.5808 हैक्टेयर राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरू जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा, भजनलाल पुत्र चूनाराम हिस्सा 0.0632 हैक्टेयर जाति जांगिड़ निवासी इन्द्रपुरा खातेदार	60 मी.	8.7916	17.43
		95 मी.	0.6240	1.24
		65	3.0098	5.96
		93	3.6169	7.16
		94	1.8843	3.73
		104	1.8970	3.76
		134	1.9223	3.81
		किता-7	21.7459	43.09

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जिन खातेदारों का हिस्सा बैंकों के रहन दर्ज है, वह यथावत् रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरु को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23 माह अक्टूबर सन् 2019 को जारी की गई।



(श्वेता कोचर)
उपस्थित अधिकारी, चूरु